संख्या-1/1/95-का-4-2000

प्रेषक,

प्रदीप शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊः : दिनांकः :29 जुलाई 2000

विषय- प्रतिनियुक्ति एवं सेवास्थानान्तरण के आधार पर तैनाती किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-98 सी.एम./47-का-4-1994-20/1/91, दिनांक 31 मार्च, 1994 एवं शासनादेश संख्या-75 सी.एम./47-का-4-95-1/1/95, दिनांक 02 मई, 1995 के क्रम में, शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है, कि निम्न वेतनमान के पदों पर प्रतिनियुक्ति / सेवास्थानान्तरण के आधार पर तैनाती न की जाय ।

2- कृपया उपर्युक्त निर्देशों का सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय,

प्रदीप शुक्ला
सचिव ।

संख्या-1/1/95-का-4(1)-2000, तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- सचिव, श्री राज्यपाल ।
2- प्रमुख सचिव, मा0मुख्य मंत्री जी ।
3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन ।
4- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 ।
5- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

डी.के0वर्मा
विशेष सचिव ।